India-EU Common Agenda on
Migration and Mobility

फ्रांस में भारतीयों के एकीकरण के लिये हैंडबुक

ICM
INDIA CENTRE FOR MIGRATION
Local Partner

ICMPD
International Centre for Migration Policy Development
Implementing Partner

ILO
International Labour Organization
Implementing Partner

फ्रांस में भारतीयों के एकीकरण के लिये हैंडबुक

प्रवास और गतिशीलता पर
भारत–यूरोपीय संघ सहयोग संवाद

कार्यान्वयनकर्ता
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)
अंतर्राष्ट्रीय प्रवास नीति निर्धारण केंद्र (आईसीएमपीडी)

कॉपीराइट © अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2020

पहला प्रकाशन (2020)

अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय के प्रकाशनों को यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन के प्रोटोकॉल 2 के अंतर्गत कॉपीराइट प्राप्त है। बाबजूद इसके स्रोत के संदर्भ के साथ अनुमति के बिना उनके संक्षिप्त अंश को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रतिकृति या अनुवाद के अधिकारों के लिए आईएलओ पब्लिकेशंस (राइट्स एंड लाइसेंसिंग), इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, सीएच–1211 जिनेवा 22, स्विटजरलैंड के पते पर, या ईमेल rights@ilo.org द्वारा आवेदन किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय ऐसे आवेदनों का स्वागत करता है।

पुस्तकालय, संस्थाएं और प्रतिकृति अधिकार संगठनों के साथ पंजीकृत अन्य उपयोगकर्ता इस उद्देश्य के लिए उन्हें जारी किए गए लाइसेंस के अनुसार प्रतियां बना सकते हैं। अपने देश में प्रतिकृति अधिकार संगठन को खोजने के लिए www.ifrro.org पर जाएं।

प्रकाशन डेटा में आईएलओ कैटलॉगिंग

हिंदी संस्करण

आईएसबीएनः 978-92-2-032387-8 (प्रिंट)

978-92-2-032388-5 (वेब पीडीएफ)

आईएलओ प्रकाशनों में प्रस्तुत पदनाम, जो संयुक्त राष्ट्र की कार्य प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं, और इसमें उल्लिखित सामग्री का अभिप्राय यह नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय किसी देश, या उसके प्राधिकार में आने वाले क्षेत्र, या उसकी सीमाओं के परिसीमन के संबंध में समान विचार रखता है।

हस्ताक्षरित लेखों, अध्ययनों और अन्य योगदानों में व्यक्त विचारों की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उनके लेखकों पर है और उनमें व्यक्त विचारों के लिए प्रकाशन को अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय की पुष्टि नहीं माना जा सकता।

फर्मों और वाणिज्यिक उत्पादों और प्रक्रियाओं के नामों के संदर्भ का यह अभिप्राय नहीं कि अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय उनकी पुष्टि करता है, और किसी विशेष फर्म, वाणिज्यिक उत्पाद या प्रक्रिया का उल्लेख न करने पर उसे कार्यालय की अस्वीकृति नहीं माना जा सकता।

आईएलओ प्रकाशनों और डिजिटल उत्पादों के बारे में जानकारी www.ilo.org/publns पर उपलब्ध है।

इस प्रकाशन को यूरोपीय संघ के वित्तीय सहयोग से तैयार किया गया है। इसकी सामग्री लेखक की एकमात्र जिम्मेदारी है और इसे अनिवार्य रूप से भारत सरकार (जीओआई) या यूरोपीय संघ (ईयू) के विचारों का प्रदर्शन नहीं माना जा सकता।

शर्तों के तहत यूरोपीय संघ से लाइसेंस प्राप्त।

विषय वस्तु

भारतीयों के फ्रांस में एकीकरण के हैंडबुक 1

1. फ्रांस में प्रवेश **2**

1.1 कम दिनों का वीज़ा (अथवा शेंगेन वीजा) 2

1.2 लॉन्ग स्टे वीज़ा 2

1.2.1 वीएलएस–टीएस (visa de long séjour valant titre de séjour) 2

1.2.2 लंबे समय तक रहने का अन्य वीजा जिसमें Carte de sejour a solicitor लिखा होता है, इसका मतलब हुआ कि वहां रहने के लिए आपको आवेदन देना ही होगा। 3

2. फ्रांस में निवास **3**

2.1 रहने की अनुमति (रेजिडेंट परमिट) 3

2.1.1 वीएलएस–टीएस (visa de long séjour valant titre de séjour) 4

2.1.2 अस्थायी रहने की अनुमति (cartes de séjour temporaire) 4

2.1.3 मल्टी ईयर रेजिडेंट परमिट (cartes de séjour pluriannuelle) 5

2.1.4 रेजिडेंट कार्ड (carte de résident) 5

2.2 आपकी व्यक्तिगत एकीकरण प्रक्रिया 7

2.3 पारिवारिक पुनर्मिलन 7

2.4 मूल देश में स्वैच्छिक वापसी के लिए सहायता (Aide au retour volontaire) 8

2.5 बिना दस्तावेज के प्रवासी होने के रूप में आपका अधिकार 8

2.6 अकेला नाबालिग 9

3. सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का देखभाल **9**

3.1 नियमित निवासियों के लिए 9

3.2 बिना दस्तावेज के प्रवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं 10

4. रोजगार **11**

4.1 नौकरी की तलाश 11

4.2 बेरोजगारी भत्ता 11

4.3 बिना दस्तावेज के प्रवासियों का श्रम अधिकार 12

5. आवास **13**

5.1 निजी आवास किराये पर लेना 13

5.2 सामाजिक आवास (सोशल हाउसिंग) 14

5.3 दस्तावेज न होने पर आवास 14

6. सामाजिक लाभ 15

6.1 बुनियादी रख–रखाव का लाभ 15

6.2 जन्म और शुरू में बच्चों के देखभाल का लाभ 15

6.3 विशिष्ट उद्देश्य हेतु लाभ 16

6.4 बच्चों की देखभाल 16

6.5 अगर आप हिंसा, घरेलू उत्पीड़न, तस्करी के/की शिकार हैं 17

6.6 अगर आप विवाहित हैं 17

7. शिक्षा, प्रशिक्षण और भाषा संबंधी पाठ्यक्रम 17

7.1 बच्चों के लिए शिक्षा 17

7.1.1 फ्रेंच स्कूली शिक्षा प्रणाली 17

7.1.2 गैर फ्रेंच भाषी बच्चों के लिए सुविधाएं 18

7.1.3 अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है 18

7.2 वयस्कों के लिए शिक्षा और दक्षता प्रशिक्षण 19

7.2.1 फ्रेंच कहां से सीख सकते हैं? 19

7.2.2 दक्षता प्रशिक्षण और पेशेवर शिक्षा 19

8. फ्रांस मे अध्ययन 20

8.1 फ्रेंच विश्वविद्यालय या निजी उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिला 20

8.2 स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन 21

8.3 स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट के लिए आवेदन 22

8.4 विदेशी विद्यार्थियों के लिए फीस और छात्रवृत्ति 23

8.4.1 ट्यूशन फीस 23

8.4.2 छात्रवृत्ति 23

8.5 सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा 24

8.6 आवास 24

9. रोजमर्रा का जीवन 25

9.1 फ्रांस में अपने साथ क्या दस्तावेज लेकर आएं 25

9.2 सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद 25

9.3 बैंक खाता खोलना 26

9.4 धनराशि घर भेजना 26

9.5 फ्रांस में भ्रमण 27

9.5.1 ड्राइविंग 27

9.5.2 सार्वजनिक परिवहन (transports en commun) 27

10. उपयोगी संपर्क 28

उपयोगी नंबर 30

संक्षिप्त शब्द

एएमई	Aide médicale d'Etat (बिना दस्तावेज के प्रवासियों के लिए सरकारी इलाज में सहायता)
सीएएफ	Caisse d'allocations familiales (पारिवारिक भत्ता कोष)
सीसीएएस	Centre communal d'action sociale (लोकल काउंसिल सोशल सर्विस)
सीपीएएम	Caisse primaire d'assurance maladie (सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना)
सीआरएयूएस	Centres régionau des oeuvres universitaires et scolaires (क्षेत्रीय विद्यार्थी सेवा केंद्र)
सीआरए	Centre de rétention administrative (प्रशासनिक रिटेंशन केंद्र)
ओएफआईआई	Office d'immigration et d'intégration
ओक्यूटीएफ	Obligation de quitter le territoire française (फ्रेंच क्षेत्र को छोड़ने की बाध्यता)
पास	Permanence d'accès auÛ soins de santé (दस्तावेज रहित प्रवासियों के लिए हेल्थ सर्विस एक्सेस प्वाइंट्स)
एसएमआईसी	Salaire minimum interprofessionnel de croissance (सांविधिक न्यूनतम वेतन)
वीएलएस–टीएस	Visa de long séjour valant titre de séjour (लॉन्ग स्टे वीजा रेजिडेंट परमिट के बराबर)

हैंडबुक में जिन शब्दों पर तारे का चिन्ह है, उनके लिए खंड 10 में दिए गए उपयोगी संपर्कों को देखें।

परिचय

यह हैंडबुक भारत से फ्रांस जा रहे व्यक्तियों के एकरुपता (मेल–मिलाप, भाईचारे) के लिए तैयार किया गया है, यानी वे फ्रांस में प्रवास के दौरान किस तरह वहां बेहतर ढ़ंग से रह सकते हैं और उस देश के अनुसार खुद को कैसे ढाल सकते हैं। यह हैंडबुक प्रवासी भारतीयों के लिए एक मार्गदर्शिका जैसा है। वैसे तो फ्रांस में बहुत कम, लगभग 40 हजार, प्रवासी भारतीय रहते हैं। फिर भी, यह फ्रांस में रह रहे प्रवासी श्रमिकों के साथ–साथ विद्यार्थियों और अन्य पेशों से जुड़े व्यक्तियों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है।

इस हैंडबुक में उन सभी बुनियादी जानकारियों को शामिल किया गया है जिसे पढ़कर प्रवासी भारतीयों को फ्रांस में अच्छी तरह घुलने–मिलने में मदद मिल सकती है। इसमें निर्देश देकर धीरे–धीरे यह समझाया गया है कि उस देश में रहने के लिए कौन–कौन से कागजात चाहिए। साथ ही, इसमें इसकी भी जानकारी है कि जरूरत पड़ने पर किस तरह बुनियादी सुविधाओं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पारिवारिक जरूरत की चीजें और यातायात की सुविधा को कैसे हासिल किया जा सकता है। इसमें अनियमितता जैसी अधिक मुश्किल बातों की जानकारी भी है।

इस हैंडबुक को क्रिस्टिन मोलिनर ने तैयार किया है। भारत में फ्रांसीसी दूतावास और फ्रांस में भारतीय दूतावास ने भी इसे तैयार करने में योगदान दिया है। इसको तैयार करने में मदद करनेवालों का आईएलओ शुक्रगुजार है। यह हैंडबुक अंग्रेजी और पंजाबी में भी उपलब्ध है।

1. फ्रांस में प्रवेश

फ्रांस (या शेंगेन क्षेत्र के किसी भी दूसरे देश) में दाखिल होने से पहले आपके पास यात्रा संबंधी दस्तावेज़—पासपोर्ट और वीज़ा होना जरूरी है।

वीज़ा कैसे मिलता है

जो लोग यूरोप के नहीं है, उनके लिए दो तरह का वीजा होता है:

1.1 कम दिनों का वीज़ा (अथवा शेंगेन वीजा)

90 और उससे कम दिनों के लिए: पर्यटन, व्यवसाय, पारिवारिक यात्रा या कुछ दिनों के काम के लिए (जैसे आमंत्रित कलाकार या शिक्षा से जुड़े सेमिनार जैसे मामले में)। इस वीजा के आधार पर आप किसी भी शेंगेन देश में 180 दिनों में से अधिक से अधिक 90 दिनों तक रह सकते/सकती हैं।

1.2 लॉन्ग स्टे वीज़ा

90 दिनों से अधिक रहने के लिए। यह वीज़ा दो तरह के होते हैं।

1.2.1 वीएलएस—टीएस (visa de long séjour valant titre de séjour)

लॉन्ग स्टे वीजा रहने की अनुमति (रेजिडेंस परमिट) जैसा होता है। फ्रांस आने पर इसमें आपको फ्रांस में रहने की अनुमति रहती है, लेकिन इस वीजा पर अधिक से अधिक एक वर्ष तक ही वहां रहा जा सकता है।

आप वीएलएस—टीएस के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं, अगर आप किसी फ्रेंच नागरिक के पति या पत्नी, विद्यार्थी, इंटर्न, कर्मचारी (वर्क परमिट के साथ), पुनर्मिलन प्रक्रिया के अंग के रूप में फ्रांस आने वाले किसी विदेशी कानूनी निवासी के पति या पत्नी हैं, जिनसे मिलने के लिए आपको रूकना पड़ रहा है (नीचे देखें)।

फ्रांस आने के तीन महीने के भीतर, आपको फ्रेंच ऑफिस फॉर इमिग्रेशन एंड इंटीग्रेशन, ओएफआईआई' (Office français d'immigration et d'intégration) में जाना ही पड़ेगा। भारत में फ्रांसीसी दूतावास जब आपको वीजा देता है उसी समय ओएफआईआई demande d'attestation नाम का एक और फॉर्म भी देता है। ओएफआईआई से वीजा मिलना इस बात का प्रमाण है कि आपको फ्रांस में रहने का अधिकार दिया गया है। ओएफआईआई आपको वीजा फीस के अलावा टैक्स चुकाने के लिए भी कहेगा (€60 से €250), लेकिन यह फीस कितना होगा वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप फ्रांस क्यों जा रहे हैं?

1.2.2 लंबे समय तक रहने का अन्य वीजा जिसमें Carte de sejour a solicitor लिखा होता है, इसका मतलब हुआ कि वहां रहने के लिए आपको आवेदन देना ही होगा।

इसकी वैधता तीन महीने की होती है। फ्रांस पहुंचने के दो महीने के भीतर आपको उस विभाग में Préfecture*(अधिकांश प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक प्रक्रिया) जाकर वहां रहने के लिए (रेजिडेंस परमिट) आवेदन देना पड़ेगा।

2. फ्रांस में निवास

2.1 रहने की अनुमति (रेजिडेंट परमिट)

फ्रांस में जाकर रहने का अधिकार वहां के कानून (*parcours d*immigration*) की धारणा पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह भी है कि आपको वहां रहने का अधिकार एक साथ नहीं मिलता है, बल्कि धीरे–धीरे मिलता है। सबसे पहले एक वर्ष रहने की अनुमति मिलती है, फिर उस अनुमति को कुछ और वर्षों तक बढ़ा दिया जाता है और फिर उसे बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया जाता है।

18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी गैर यूरोपीय विदेशी, जो फ्रांस में 3 महीने से अधिक समय के लिए रहना चाहते हैं, के पास रहने की अनुमति (रेजिडेंट परमिट) होनी चाहिए। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप इस परमिट को हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि पुलिस कभी भी इसे दिखाने के लिए कह सकती है।

सामान्यतया रहने की अनुमति (रेजिडेंट परमिट) उन विदेशियों को दिया जाता है जो नियमित रूप से वीजा के साथ फ्रांस आते हैं और यहां नियमित रूप से रहते हैं। लेकिन अगर आपका फ्रांस में लंबे समय से निजी या पारिवारिक संबंध हो (यानि कि अगर आपकी शादी विदेशी नागरिक से हुई हो या फिर आप कई वर्षों से लगातार फ्रांस आते रहे हैं जिसे कि आप साबित कर सकते हैं), तो इस बात की संभावना है कि privée et familiale के संबंध में आपके मामले में विचार किया जाए। अगर आपके पास कम से कम पांच वर्षों तक फ्रांस में रहने का सबूत है, 12 सैलरी स्लिप है और आपके पास नियोक्ता की ओर से दिया हुआ वर्क कॉन्ट्रैक्ट और आपके टैक्स चुकाने का दस्तावेज है, तो आपका régularisation exceptionnelle par le travail प्रक्रिया के तहत रहने के लिए रेगुलराइज या नियमित किया जा सकता है। वैसे ये दोनों ही प्रक्रियाएं

काफी मुश्किल और अनिश्चिय वाली है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप आव्रजन कानून के विशेषज्ञ वकील या प्रवासियों की मदद करनेवाले संगठन से मदद लें (इसके लिए खंड–10 देखिए जो काफी उपयोगी है)

फ्रांस में रहने की अनुमति (रेजिडेंट परमिट) कई तरह की होती है:

2.1.1 वीएलएस–टीएस (visa de long séjour valant titre de séjour)

लंबे समय तक का वीजा (लॉन्ग स्टे वीजा) रहने की अनुमति (रेजिडेंट परमिट) जैसा होता है जिसकी वैधता अधिक से अधिक एक साल तक की होती है। इसके बारे में उपर लिखे नियमों को देखें।

वीएलएस–टीएस की अवधि समाप्त होने से 2 महीने पहले आपका Préfecture में जाकर रहने की अनुमति (रेजिडेंट परमिट) के लिए फिर से आवेदन देना ही पड़ेगा।

2.1.2 अस्थायी रहने की अनुमति (cartes de séjour temporaire)

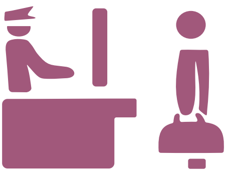

इसकी वैधता अधिक से अधिक 1 वर्ष तक की होती है कि आप फ्रांस क्यों आए हैं। इसमें विद्यार्थी, घूमने–फिरने के लिए, इंटर्न, कर्मचारी, निजी और पारिवारिक जीवन जैसे शब्द लिखे होते हैं। आप थोड़े समय तक, वहां रहने के लिए (रेजिडेंट परमिट) उसी शर्त पर आवेदन कर सकते/सकती हैं जब आपके पास पहले से वीएलएस–टीएस वीसा मौजूद है। जब आपके पास वीएलएस–टीएस वीजा हो, अपवादस्वरूप निम्नलिखित तरह के कुछ मामलों को छोड़कर (निजी और पारिवारिक जीवन के अंतर्गत परमिट के लिए आवेदन करने वाले विदेशी, जैसे नाबालिग, फ्रेंच बच्चों के माता–पिता, फ्रांस में जन्म लेने और शिक्षा लेने वाले विदेशी, फ्रांस में व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध वाले विदेशी, सबसिडियरी प्रोटेक्शन से लाभ पानेवाले, जो किसी देश का नागरिक न हो, जो घरेलू हिंसा का शिकार हो, तस्करी या वेश्यावृत्ति से पीड़ित इंसान)।

अस्थायी रेजिडेंट परमिट के साथ एक वर्ष तक वहां नियमित रहने के बाद परमिट धारक इंसान मल्टी ईयर रेजिडेंट परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। अस्थायी रेजिडेंट परमिट जैसी श्रेणियों में आने वाले लोग (जैसे इंटर्न या घूमने के लिए आने वाले) अपने परमिट को फिर से नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वे कई वर्षों तक के वीजा (मल्टी ईयर परमिट) के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

फ्रांस सरकार विदेशी विद्यार्थियों को अस्थायी रेजिडेंट परमिट या Autorisation Provisoire de Séjour (एपीएस) देती है ताकि वे पढ़ाई खत्म कर लेने के एक साल बाद तक फ्रांस में रह सकें। इस दौरान वे वहां नौकरी ढूंढ सकते/सकती हैं या

अपनी पढ़ाई से संबंधित जुड़े क्षेत्र में कोई कंपनी शुरू कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें अधिकतम 964 घंटों तक काम करने का इजाजत भी मिली रहती है।

2.1.3 मल्टी ईयर रेजिडेंट परमिट (cartes de séjour pluriannuelle)

ये 4 प्रकार के होते हैं:

1. फ्रांस में 1 वर्ष तक नियमित रूप से रहने पर नियमित मल्टी ईयर रेजिडेंट परमिट दिया जाता है। यह परमिट 4 वर्षों के लिए वैध रहता है। फ्रांस में पहुंचने पर 3 और तरह के परमिट भी दिए जाते हैं:

2. ग्रैजुएट्स, उच्च दक्षता वाले लोगों, शिक्षाविदों, कलाकारों या एसाइनमेंट पर जाने वाले कर्मचारियों को 'स्किल्स पासपोर्ट' *(arte passeport talent)* दिया जाता है। एसाइनमेंट पर जाने वाले कर्मचारियों का यह मतलब हुआ कि उनको फ्रांस में कंपनी के किसी ऑफिस के साथ स्थानीय अनुबंध के लिए काम करने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। यह परमिट 4 वर्षों के लिए वैध होता है और उसी अनुसार उसका नवीनीकरण भी होता है। अधिक जानकारी के लिए इसे देखें: ***https://france-visas.gouv.fr/fr_FR/web/france-visas/ passeport-talents***

3. 'इंट्रा कंपनी ट्रांसफर *(salarié détaché ICT)* विदेश स्थित कंपनी के कर्मचारियों के लिए रेजिडेंट परमिट होता है जिनका अनुबंध विदेश स्थित नियोक्ता के साथ है: यह 3 वर्ष तक, असाइनमेंट की अवधि के दौरान वैध रहता है लेकिन इसका नवीनीकरण नहीं होता है।

4. सीजनल वर्कर परमिट 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है और इसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। इसके तहत हर साल अधिक से अधिक 6 महीने तक काम करने की अनुमति मिलती है, लेकिन फ्रांस में बसने की अनुमति नहीं होती है। सीजनल परमिट मोटे तौर पर उत्तरी अफ्रीका से खेती–बारी का काम करने के लिए आने वाले श्रमिकों को दिया जाता है।

2.1.4 रेजिडेंट कार्ड (carte de résident)

यह 10 वर्षों के लिए वैध है जिसका नवीनीकरण होता है। यह दो तरह का होता है:

- एक में 'लॉन्ग टर्म रेजिडेंट ईयू' लिखा होता है जिसके अंतर्गत आप बिना वीजा के किसी अन्य ईयू देश में रहने के लिए अधिकृत होते हैं,
- दूसरे रेजिडेंट कार्ड में यह नहीं लिखा होता है।

अगर आप कई सालों के रेजिडेंट परमिट (मल्टी ईयर रेजिडेंट परमिट) के आधार पर 3 वर्षों से फ्रांस में रह रहे हैं तो आप रेजिडेंट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यही कार्ड विशेष श्रेणी के विदेशियों को भी दिया जाता है जो मल्टी ईयर रेजिडेंट परमिट के बिना भी 3 वर्षों से नियमित रूप से फ्रांस में रह रहे हैं। उदाहरण के लिए, फ्रेंच नागरिक के पति या पत्नी, फ्रेंच बच्चों के माता–पिता, अपने परिवार वालों से फिर से मिलने के लिए आने वाले आश्रित लोग (छोटे बच्चे, पति या पत्नी)। शरणार्थी को भी यही परमिट दिया जाता है, इसलिए शरणार्थियों के फ्रांस में रहने पर समय सीमा लागू नहीं होता है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में 'लॉन्ग टर्म रेजिडेंट ईयू' कार्ड दिया जाता है:

- फ्रांस में 5 वर्षों से अधिक समय से लगातार रहना, अस्थायी रेजिडेंट परमिट, कई वर्षों का मल्टी ईयर परमिट या फिर रेजिडेंट कार्ड के साथ रहना, सबसिडियरी प्रोटेक्शन के लाभार्थी या उस पर आश्रित इंसान। मल्टी ईयर स्किल्स पासपोर्ट परमिट के धारक को तभी इसका लाभ मिलेगा जब वे यूरोपियन यूनियन (ईयू) के किसी सदस्य देश में 5 वर्षों से लगातार रह रहे हों। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वह इंसान इन 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष फ्रांस में जरूर रहा हो। फिर भी, उनके आश्रितों को तभी रेडिडेंट कार्ड मिलेगा, जब वे 5 वर्षों से लगातार फ्रांस में रह रहे हों।
- वह फ्रेंच भाषा की मान्यता प्राप्त परीक्षा पास किया हो।
- 'पर्याप्त, नियमित और स्थायी आय' का साधन हो (उनकी आमदनी फ्रांस के राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन–एसएमआईसी– के बराबर हो, मतलब वह कम से कम €14,400 सालाना कमाता हो)।

रेजिडेंट संबंधी दस्तावेज को रीन्यू करने या बदलने का काम Préfecture* में होता है। चूंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है, खास तौर से फ्रेंच न बोलने वालों के लिए, इसलिए आप प्रवासियों की सहायता करने वाले संगठनों* से मदद ले सकते/सकती हैं।

परमिट मिलने के बाद उसे भारतीय दूतावास में रजिस्टर कराइए। यह फॉर्म निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है– https://www.eoiparis.gov.in/register-phpl इसे दूतावास की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा सकता है।

2.2 आपकी व्यक्तिगत एकीकरण प्रक्रिया

ओएफआईआई (Office français d'immigration et d'intégration) या Préfecture में रेजिडेंट परमिट प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको फिर से ओएफआईआई में बुलाया जाएगा। वहां आपका आमने–सामने इंटरव्यू होगा। वहां रिपब्लिकन इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट (Contrat d'intégration républicaine) पर दस्तखत करने के साथ ही आपका फ्रेंच भाषा का लिखित और मौखिक परीक्षा लिया जाएगा। इस परीक्षा से उनको यह पता चलेगा कि आपको फ्रेंच भाषा के बारे में कितना ज्ञान है। सीआईआर उन प्रवासियों के लिए होता है जो लंबे समय तक फ्रांस में रहना चाहते हैं और इसमें व्यक्तिगत एकीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अगर आपका फ्रेंच का ज्ञान ए1 स्तर से नीचे है (कॉमन यूरोपीयन फ्रेमवर्क ऑफ रिफ्रेंस के अनुसार) तो आपको निश्चित रूप से लैंग्वेज कोर्स करने को कहा जाएगा (50 से 200 घंटे के बीच, यह इसपर निर्भर करेगा कि आपको फ्रेंच भाषा का कितना ज्ञान है)। इतना सब होने के बावजूद रेजिडेंट परमिट रीन्यू होने के लिए रिपब्लिकन इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

2.3 पारिवारिक पुनर्मिलन

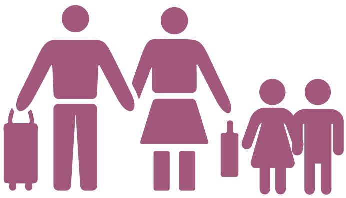

पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना जरूरी है:

- वैध रेजिडेंट दस्तावेज (रेजिडेंट कार्ड, मल्टी ईयर रेजिडेंट परमिट या अस्थायी रेजिडेंट परमिट)
- फ्रांस में कम से कम 18 महीने रहे हों
- स्थायी और पर्याप्त आय (उनकी आमदनी फ्रांस के राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन–एसएमआईसी– के बराबर हो, मतलब आप कम से कम €14,400 सालाना कमाते हों)।
- आपका आवास बड़ा होना चाहिए जिसमें पूरा परिवार रह सके (आपके घर को कोई सामाजिक कार्यकर्ता देखने के लिए आ सकता है जिससे कि वह संतुष्ट हो सके कि आपका घर परिवार के सभी लोगों के रहने योग्य है या नहीं)। जैसे 2 लोगों के परिवार के लिए मकान 22 वर्गमीटर से 28 वर्गमीटर (236 वर्गफुट से 301 वर्गफुट के बीच), 3 लोगों के परिवार के लिए 32 से 38 वर्गमीटर (344 से 409 वर्गफुट के बीच) होना चाहिए। वैसे वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप फ्रांस के किस भाग में रहते/रहती हैं।

पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए कौन अधिकृत है? आपके पति या पत्नी और आपके नाबालिग बच्चे (18 वर्ष से कम)। आप ओएफआईआई में इसके लिए आवेदन कर

सकते/सकती हैं और निम्नलिखित फॉर्म को भर सकते/सकती हैं: https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11436_05.do अगर आप भारत में अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों का खर्चा उठाना (स्पांसर करना) चाहते/चाहती हैं तो इसके लिए अलग से प्रक्रिया है। उन्हें शॉर्ट स्टे वीजा के लिए आवेदन करना होगा (वे वहां 3 महीने से कम समय ही रह सकते हैं) और आपको उन्हें स्पांसरशिप सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें आपको यह कहना पड़ेगा कि आप उनके फ्रांस में रहने का खर्चा देंगे/देंगी। इस सर्टिफिकेट पर आपके स्थानीय काउंसिल (mairie) का स्टाम्प होगा। वैसे वह स्टाम्प लगाने से इनकार भी कर सकते/सकती हैं। अगर स्थानीय काउंसिल आपके सर्टिफिकेट के आवेदन को खारिज कर देता है, तो फिर से अपील की जा सकती है। इसके लिए आप लॉ सेंटर (Maison de la Justice et du Droit*, Point d'accès au Droit*) से मुफ्त सलाह ले सकते/सकती हैं।

2.4 मूल देश में स्वैच्छिक वापसी के लिए सहायता (Aide au retour volontaire)

अगर आपके पास रेजिडेंसी के दस्तावेज नहीं हैं, अगर आपके शरणार्थी संबंधी दावे को नामंजूर कर दिया गया है, या आपको फ्रांसीसी क्षेत्र को छोड़ने का पत्र जारी किया गया है, (OQTF, obligation de quitter le territoire français) तो आप स्वैच्छिक रिटर्न प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते/सकती हैं। ओएफआईआई' (Office français d'immigration et d'intégration) आपको हवाई टिकट देगा और प्रवास के समय कुछ धनराशि भी देगा (€650)। आप सोशल इंटीग्रेशन अनुदान के लिए भी अधिकृत हैं ताकि आप अपने मूल देश में नौकरी तलाश सकें या अपना कारोबार कर सकें।

लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भारतीय दूतावास आपको भारत वापसी के लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी करे।

2.5 बिना दस्तावेज के प्रवासी होने के रूप में आपका अधिकार

पुलिस द्वारा पहचान पत्र (आईडी) जांच के दौरान अगर आप रेजिडेंट परमिट न दिखा पाएं तो आपको अपने वतन वापसी के लिए प्रशासनिक डिटेंशन सेंटर (Centre de rétention administrative or CRA*) में रखा जा सकता है।

जिस केंद्र में आपको रखा गया है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से आपको अपने अधिकारों के संबंध में सलाह–मशवरा मिल सकता है। सलाह देनेवाले/देनेवाली फ्रांस सरकार से नहीं जुड़े होते हैं। आप अपना बचाव करने के लिए किसी वकील की सेवाएं ले सकते/सकती हैं, लेकिन ऐसी मदद की मांग आपको किसी प्रशासनिक अदालत में अपने डिटेंशन के 48 घंटे के भीतर ही किया जाना चाहिए।

फ्रांस में ऐसे अनेक संगठन और समूह हैं जो बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों की मदद करते हैं और उन्हें कानूनी सहायता देते हैं। अधिक जानकारी के लिए हैंडबुक में उपयोग संपर्क वाले भाग को देखें।

2.6 अकेला नाबालिग

कानून के अनुसार, बाल संरक्षण सेवाएं अकेले नाबालिगों (mineurs isolés étrangers) का देखभाल करती है और उनके लिए शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था करती है। हालांकि स्थानीय स्तर पर अलग–अलग जगहों पर अलग–अलग किस्म की देखभाल की व्यवस्था है।

3. सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का देखभाल

3.1 नियमित निवासियों के लिए

फ्रांस में काम करने या रहने वाले सभी लोगों को Sécurité sociale सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा बनना अनिवार्य है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना (Assurance maladie) शामिल है जिसमें बीमारी, मातृत्व, विकलांगता, औद्योगिक दुर्घटनाएं और कार्य संबंधी बीमारियों के जोखिम का बीमा किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी खर्च का छोटा सा हिस्सा कवर किया जाता है और अगर कभी आप बीमार पड़ते हैं तो बीमारी के दौरान छुट्टी लेने पर आपको पैसा दिया जाता (इनकम रिप्लेसमेंट) है। सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना का हिस्सा बनने के लिए आपको अपने रहने वाले एरिया के स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यालय Caisse Primaire d'assurance maladie* में जाना होगा। जबकि नाबालिगों का बीमा अपने माता–पिता के साथ ही हो जाता है। आपको आपकी हैसियत के अनुसार स्वास्थ्य बीमा योजना दी जाएगी। इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसके साथ आप अपने carte vitale के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। इस कार्ड में दर्ज प्रशासनिक सूचना डॉक्टर, दवा दुकान और अस्पतालों द्वारा मांगा जाएगा।

यह सलाह दी जाती है कि आप एक अनुपूरक निजी स्वास्थ्य बीमा *(mutuelle)* को भी सबस्क्राइब करें। इसमें ऐसे व्यय को कवर किया जाता है जिसकी भरपाई Assurance maladie द्वारा न की जाए। संसाधनों के आधार पर आप अनुपूरक कवरेज निशुल्क हासिल करने (जिसे फ्रेंच में सीएमयू–सी कहा जाता है) या अनुपूरक स्वास्थ्य बीमा के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता (जिसे फ्रेंच में एसीएस कहा जाता है) के हकदार हो सकते/सकती हैं, ताकि उसकी लागत कम हो जाए। विद्यार्थियों के लिए खंड 8 देखें।

3.2 बिना दस्तावेज के प्रवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं

जिनके पास दस्तावेज नहीं होता है उन प्रवासियों को अनिवार्य Assurance maladie और अनुपूरक निजी स्वास्थ्य बीमा, दोनों नहीं मिलता है क्योंकि इन दोनों के लिए वैध निवास से संबंधित कागजात का होना जरूरी है। फिर भी वैसे लोग स्टेट मेडिकल एड–एएमई (Aide médicale d'Etat या एएमइ) के लिए आवेदन कर सकते हैं। एएमई 6 महीने के लिए वैध है और इसमें स्वास्थ्य संबंधी खर्चा दिया जाता है, जैसे चिकित्सा सलाह, दवाएं और अस्पताल में मुफ्त उपचार। इसके लिए आपके पास एएमई कार्ड होना जरूरी है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी जिन प्रावधानों को तत्काल गैर जरूरी माना जाता है, उनके लिए Assurance maladie से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत होती है। अधिक जानकारी के लिए देखें: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3079

आपके पास इस कार्ड को होने के लिए आपका फ्रांस में 3 महीने से अधिक समय तक रहना जरूरी है, साथ ही आपकी आय एक निश्चित सीमा (€600 प्रति माह) से कम होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको स्थानीय स्वास्थ्य बीमा कार्यालय (Caisse primaire d'assurance maladie) जाकर एक फॉर्म भरना होगा (https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/93/s3720_homol_mai_2018_version_ameli.pdf)। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने होंगे: एक फोटो, आईडी संबंधी दस्तावेज, फ्रांस में निवास का प्रमाण, पते का प्रमाण।

एएमई के लिए तुरंत आवेदन कर दें और बीमार पड़ने का इंतजार न करें: एएमई कार्ड मिलने में समय लगता है (पेरिस में लगभग 2 महीने) जिसे आप फ्रांस में रहने के प्रमाण के तौर पर भी पेश कर सकते/सकती हैं।

सामाजिक सुरक्षा सेवाएं प्रशासनिक होती हैं, और वह आव्रजन सेवाओं से अलग होती हैं। उनके कर्मचारियों को इस बात की अनुमति नहीं होती कि वे पुलिस को इस बात की सूचना दे कि फंलाने व्यक्ति के पास कोई कागजात नहीं है।

अगर आपके पास एएमई नहीं तो भी आपके पास Permanences d'Accès aux Soins de Santé (हेल्थ सर्विसेज एक्सेस प्वाइंट्स), जो अधिकतर अस्पतालों में मौजूद होता है, तथा Médecins du Monde हेल्थ सेंटर से मुफ्त मेडिकल जांच की सुविधा मिल सकती है (प्रवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों के बारे में जानने के लिए संपर्क वाला खंड देखें)। गर्भावस्था और महत्वपूर्ण आपात स्थितियों में अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको उस अस्पताल की सामाजिक सेवाओं के लिए आवेदन करना होगा जहां आपने दाखिला लिया है (इसे Fonds pour les soins urgents et vitaux, द फंड फॉर अर्जेंट एंड वाइटल हेल्थकेयर कहा जाता है)।

4. रोजगार

4.1 नौकरी की तलाश

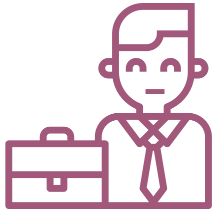

अगर आपके पास फ्रांस में रहने (रेजिडेंट) का वैध दस्तावेज है जिनमें आपको काम करने की अनुमति दी गई है, तो आपको नौकरी तलाशने के लिए Pôle Emploi में रजिस्टर करना होगा। यह सरकारी सेवा है जो रोजगार की तलाश करने वाले लोगों की मदद करता है और उन्हें सूचनाएं मुहैया कराती है (इन कार्यालयों की सूची के लिए देखें: ***https://lannuaire.service-public.fr/navigation/pole_emploi).***

अगर आपकी उम्र 26 वर्ष से कम है, तो आप Mission locale* (स्थानीय युवा रोजगार कार्यालय) से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते/सकती हैं (www.pole&emploi.fr), आपसे आईडी, रेजिडेंट परमिट, सामाजिक सुरक्षा कार्ड (carte vitale) और आपका बायोडाटा (सीवी) मांगा जाएगा। इसके बाद (आम तौर पर कुछ दिनों बाद) आपको इंप्लॉयमेंट काउंसलर के साथ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप रोजगार संबंधी रिक्तियों को एक्सेस कर सकते/सकती हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते/सकती हैं।

निजी रोजगार केंद्रों और अस्थायी रिक्रूटमेंट एजेंसियों से भी संपर्क किया जा सकता है।

कुछ अन्य वेबसाइट्स हैं: ***https://www.indeed.fr/; https://www.keljob-com/; https://www.apec.fr/; https://www.adecco.fr/***

4.2 बेरोजगारी भत्ता

फ्रेंच और विदेशी निवासी (जिन्हें काम करने का रेजिडेंट परमिट है) समान रूप से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपने कम से कम 4 महीने तक काम किया हो। ज्योंहि आपकी नौकरी चली जाए, आपको Pôle Emploi में रजिस्टर करना अनिवार्य है, और उपरलिखित दस्तावेजों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, पूर्व नियोक्ता द्वारा आपको निकाले जाने का (रिडेनडेंसी) सर्टिफिकेट, उसे वहां जमा करना पड़ेगा।

4.3 बिना दस्तावेज के प्रवासियों का श्रम अधिकार

अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप काम करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। आप जो भी काम करेंगे/करेंगी, वह अनियमित या ब्लैक वर्क होगा (travail au noir)। इसका मतलब यह हुआ कि आपके नियोक्ता ने ऑथरिटीज को आपके संबंध में नहीं बताया है, न ही वह सामाजिक सुरक्षा का कोई टैक्स दे रहा है। उसने आपके साथ कोई अनुबंध नहीं किया है और न ही वह आपको पे स्लिप दे रहा है।

सैद्धांतिक रूप से दस्तावेज न होने के बावजूद एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के समान ही श्रम अधिकार प्राप्त है और जिसे मानने को नियोक्ता बाध्य है। बिना दस्तावेज वाले श्रमिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है:

- उसे कम से कम न्यूनतम वेतन (एसएमआईसी) मिलेगा
- ओवरटाइम के घंटों के लिए भुगतान (फ्रांस में सामान्य काम के घंटे 35 घंटे/प्रति सप्ताह हैं)
- वैतनिक अवकाश
- बर्खास्तगी का वेतन (3 महीने का वेतन)

फ्रांस के कानून के अनुसार, ब्लैक वर्क के मामले में, नियोक्ता को जिम्मेदार माना जाता है, जबकि कर्मचारी को इस स्थिति में पीड़ित माना जाता है। ब्लैक वर्क की स्थिति में कर्मचारी के रूप में अपने बचाव के लिए आपको यह साबित करना होता है कि आप इस नियोक्ता के साथ काम करते हैं और इसलिए आपको सबूत जमा करने होंगे जैसे सहकर्मियों और क्लाइंट्स की टेस्टिमनी, फोटो, पे चेक, नियोक्ता के टेक्स्ट मैसेज...

अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है और आपका देय वेतन नहीं चुकाया गया है या कोई श्रम संबंधी दुर्घटना हुई है तो आपको ट्रेड यूनियन (*syndicat**) में अपने नियोक्ता के साथ श्रम विवाद का मामला भी शुरू कर सकते/सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप नियोक्ता को भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। चूंकि नियोक्ता यह कह सकता है कि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए आपको चरणबद्ध तरीके से कानूनी सलाह और ट्रेड यूनियन से मदद लेनी चाहिए। आपको मामूली शुल्क देकर ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने को कहा जाएगा। ट्रेड यूनियन आपको वकील भी उपलब्ध कराएगा।

ट्रेड यूनियन रोजगार स्थिति के आधार पर रेजिडेंट परमिट हेतु आवेदन करने में आपकी मदद भी कर सकता है, लेकिन इसकी कोई कानूनी गारंटी नहीं है कि आपको यह मिल ही जाएगा क्योंकि यह पूरी तरह Préfecture के इच्छा पर निर्भर करता है।

5. आवास

फ्रांस में मकान हासिल करने के 2 मुख्य तरीके:

- सरकारी या निजी आवास को, साज सामान सहित या बिना सामान के– किराये पर लेना
- मकान खरीद लेना

आवास की कीमत अलग–अलग हो सकती है, जो शहर के एरिया पर निर्भर करता है (पेरिस और उसका एरिया देश के बाकी के शहरों के मुकाबले काफी महंगे हैं)।

5.1 निजी आवास किराये पर लेना

निजी आवास किराए पर लेना : इसके लिए आप अपने परिचितों की मदद ले सकते/सकती हैं, अखबार या खास तरह के वेबसाइट में प्रकाशित होने वाली जगहों पर आपको सूचनाएं मिल सकती है। ऐसी स्थिति में बिना कमीशन के किराए पर घर मिल सकता है *(जैसे: https://www.pap.fr/)*

अगर आप किसी रियल ऐस्टेट एजेंसी की मदद लेंगे/लेंगी, तो वह मकान दिखाने और किराये संबंधी दस्तावेज तैयार कराने के लिए एक महीने का किराया कमीशन के तौर पर ले लेगा।

लीज के कागजात पर *(contrat de location)* हस्ताक्षर करना जरूरी है। यह तीन से छह वर्षों की अवधि के लिए बनाया जाता है और जिसका रीन्यू हो सकता है। आपको एक चेक–इन इन्वेंटरी पर भी हस्ताक्षर कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में मकान में रहने में अगर कोई परेशानी आती है तो उसे आप दर्ज करा सकें।

आपसे निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जाएंगे: आईडी संबंधी दस्तावेज, आपकी पिछले तीन महीने की वेज स्लिप (आपका वेतन किराए का तीन गुना होना चाहिए), थर्ड पार्टी की गारंटी जो आपके किराए का भुगतान न करने पर आपका किराया मकान मालिक को चुकाएगा (आपके गारंटर को यूरोपियन यूनियन (ईयू) का निवासी होना चाहिए, जिनसे आय का प्रमाण और आईडी देने को कहा जाएगा), और दो महीने का एडवांस किराया।

अधिकतर किराए का आवास अनफर्निश्ड होते हैं। होम इंश्योरेंस मकान मालिक और किराएदार, दोनों के लिए अनिवार्य है (दोनों को अलग–अलग सबस्क्राइब करना चाहिए)।

मकान मालिक लीगल रेंट रेफरेंस इंडेक्स (IRL, *indice de référence des loyers*) के अनुसार हर साल किराया बढ़ा सकता है। किराये का मकान छोड़ने से पहले आपको 1 या 2

महीने का नोटिस देना होगा (जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट में कितने महीने का जिक्र है)।

मकान मालिक या रियल एस्टेट एजेंसी के साथ किसी प्रकार की समस्या होने पर आप किरायेदारों से संबंधित संगठनों से संपर्क कर सकते/सकती हैं।*

5.2 सामाजिक आवास (सोशल हाउसिंग)

अगर आप फ्रांस में स्थायी रूप से रहना चाहते/चाहती हैं, तो आपको वहां पहुंचने के साथ ही सोशल हाउसिंग के लिए आवेदन कर देना चाहिए क्योंकि यह निजी आवास से काफी सस्ता है (विशेष रूप से पेरिस में जहां निजी आवास बहुत महंगे हैं) और इसे हासिल करने में समय लग जाता है (पेरिस में तो कई वर्ष लग जाते हैं)। वैसे यह प्रत्येक नियमित निवासी को दिया जाता है, भले ही वे किसी भी देश के नागरिक हों। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते/सकती हैं (https://www.demande-logement-social.gouv.fr/) लेकिन इसे हर वर्ष रीन्यू करवाना होगा। आप स्थानीय काउंसिल सोशल सर्विस (CCAS, Centre Communal d'Action Sociale*) या फ्री लेटर राइटिंग सर्विसेज *(écrivain public*)* से इसमें आवेदन करने में मदद ले सकते/सकती हैं।

5.3 दस्तावेज न होने पर आवास

अगर आपके पास दस्तावेज नहीं हैं तो आपको सोशल हाउसिंग की सुविधा नहीं मिल सकती और आप उसके लिए आवेदन भी नहीं कर सकते/सकतीं।

आपको औपचारिक निजी क्षेत्र में किराए पर आवास मिलने में भी कठिनाई होगी, क्योंकि आप कोई जरूरी कागजात नहीं दे पाएंगे/पाएंगी (जैसे रेजिडेंट परमिट और पे स्लिप्स)।

बिना दस्तावेज के प्रवासी ऐसे मकान मालिकों से किराए पर मकान लेते हैं जो लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट, किराए की रसीद और कानूनी पता नहीं देते– वैसे यह गैर कानूनी है। ऐसे मकान खराब स्थिति में होते हैं और मकान मालिक इनके लिए काफी अधिक किराया भी वसूलते हैं।

बेघर लोग, जिनमें बिना दस्तावेज के विदेशी शामिल हैं, आपात आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसे निम्नलिखित जगह पर आवेदन करके प्राप्त किया जाता है इमरजेंसी शेल्टर्स *(centres d'hébergement d'urgence- https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/personnes-en-situation-de-precarite/lieux-d-accueil-128)* – एक या कुछ रातों के लिए, आवास एवं सामाजिक पुनर्वास केंद्र कुछ महीनों के लिए, अकेली माताओं के लिए शेल्टर्स। इनके लिए आपको टोल फ्री नंबर 115 पर कॉल करना होगा (जो पेरिस और उसके क्षेत्र में बहुत इस्तेमाल होता है)। ये सेवाएं पुलिस को आपके बारे में कोई सूचना नहीं दे सकती है।

6. सामाजिक लाभ

फ्रांस में नियमित निवास (रेजिडेंट) सामाजिक लाभ हासिल करने के लिए जरूरी है।

इसके लिए आवेदन करने हेतु आपको पारिवारिक भत्ता कोष (Caisse d'Allocations Familiales-CAF*) के स्थानीय कार्यालय में जाना होगा। वहां मोटे तौर पर तीन तरह के लाभ मिलते हैं: रख–रखाव लाभ, जन्म और शुरू में बच्चों के देखभाल का लाभ और विशिष्ट उद्देश्य के लिए लाभ। अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट देखें: https://www.caf.fr/

6.1 बुनियादी रख–रखाव का लाभ

परिवार संबंधी लाभ (allocations familiales)

परिवार संबंधी लाभ उन परिवारों को दिया जाता है जिनके 20 वर्ष से कम आयु के कम से कम 2 बच्चे फ्रांस में रहते हैं। हर महीने 2 बच्चों के लिए €131 और 3 बच्चों के लिए मासिक €299 दिए जाते हैं।

पारिवारिक आय का अनुपूरक

यह लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनके कम से कम 3 साल से 21 साल के 3 बच्चे हैं। आपको कितनी राशि मिलेगी, यह आपकी आमदनी पर निर्भर करता है। लेकिन अकेले कमाने वाले परिवार के लिए यह राशि €44518 है (जैसे अगर आपके 3 बच्चे हैं तो यह एकल परिवार में अकेले कमानेवाले दंपत्ति के लिए €257 हर महीने है अगर उनकी आमदनी €19081 से अधिक नही है तो)। चूंकि ये आंकड़े समय–समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए हालिया आंकड़ों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट को देखें: http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/l- allocation-de-base

6.2 जन्म और शुरू में बच्चों के देखभाल का लाभ

इसमें जन्म/गोद लेने पर अनुदान मिलता है (प्रत्येक शिशु के जन्म पर €941 और बच्चा गोद लेने पर €1883)। इसके बाद बच्चे के 3 वर्ष की उम्र होने तक बुनियादी मासिक भत्ता दिया जाता है (€92 से लेकर €184 मासिक)। इसके अतिरिक्त बच्चे की देखभाल के लिए माता–पिता के काम न करने या पार्ट टाइम काम करने के लिए भी लाभ दिए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट देखें: http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/la-prime-a-la-naissance-et-la-prime-a-l-adoption

6.3 विशिष्ट उद्देश्य हेतु लाभ

ऐसे अनेक लाभ मिलते हैं, जैसे:

– विकलांग बच्चे की शिक्षा के लिए भत्ता (*Allocation d'éducation de l'enfant handicapé*)

– बैक टू स्कूल लाभ जिसमें 6 से 18 वर्ष के स्कूली बच्चों के हर वर्ष स्कूल जाने का कुछ खर्चा कवर होता है (*allocation de rentrée scolaire*)

इस संबंध में अंग्रेजी में एक हैंडबुक उपलब्ध है जिसमें पारिवारिक लाभ और सीएएफ सेवाओं पर जानकारी दी गई है: *http://www.caf.fr/sites/default/files/GUIDE%20PF%202013%20 ANGLAIS.pdf*

6.4 बच्चों की देखभाल

फ्रांस में बच्चों का देखभाल करने के लिए तरह–तरह के विकल्प मौजूद हैं। सामूहिक देखभाल सुयोग्य स्टाफ द्वारा किया जाता है जो बच्चे के भावात्मक, बौद्धिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इसमें बच्चों को सबसे मिल–जुलकर रहने और नर्सरी स्कूल की तैयारी करने का मौका मिलता है।

नर्सरी (क्रेश) में 3 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों का पूरी तरह देखभाल किया जाता है जिनके माता–पिता काम करते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी लागत परिवार के आय पर निर्भर करता है। इस तरह के देखभाल की मांग सबसे ज्यादा है। इसलिए यह सुझाव भी दिया जाता है कि जब आप गर्भवती हों, तो उसके शुरूआती समय में ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें (खासकर पेरिस में)।

डे केयर सेंटर (*halte-garderie*) बच्चों का पार्टटाइम देखभाल करते हैं (हर हफ्ते कुछ घंटे)।

व्यक्तिगत तौर पर बच्चों की देखभाल का विकल्प: बच्चे का देखभाल राज्य से पंजीकृत नैनी (*assistante maternelle*) द्वारा किया जाता है, और स्थानीय काउंसिल इसकी निगरानी करता/करती है। इसका शुल्क भी आपकी आय से जुड़ा हुआ है।

अधिक जानकारी (विशेष रूप से उपलब्ध वित्तीय सहायता हेतु) सीएएफ (Caisse d'Allocations Familiales*) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.5 अगर आप हिंसा, घरेलू उत्पीड़न, तस्करी के/की शिकार हैं

बिना दस्तावेज के प्रवासी होने के बावजूद अगर आप घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर शोषण या तस्करी के शिकार हैं तब भी आपका अधिकार होता है और कई संगठन आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे हॉटलाइन्स (Violences femmes info*), महिला संगठन (le Mouvement français pour le planning familial*), कानूनी केंद्र (Point d'accès au droit*) और प्रवासी महिलाओं (Rajfire*) तथा तस्करी से पीड़ितों के लिए (CCEM*) विशेष समर्पित संगठन। ऐसी स्थिति में दूतावास के पास आपको जरूरी कानूनी सहायता या मदद देने के लिए धन राशि भी उपलब्ध रहती है।

6.6 अगर आप विवाहित हैं

भारतीय कानून के अनुसार, आपके लिए यह अनिवार्य है कि भारत या विदेश में विवाह करने के 30 दिनों के भीतर अपना विवाह रजिस्टर कराएं।

अगर आपकी पत्नी द्वारा कोई मामला दायर किया जाता है, तो विदेशी मामलों के मंत्रालय की निर्दिष्ट वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन सम्मन/वारंट जारी किया जाएगा और अगर आप अदालत के सामने हाजिर नहीं हुए, तो आपकी संपत्ति जब्त की जा सकती है।

अगर आप भारतीय महिला हैं और आपके पति ने आपको छोड़ दिया है, तो पेरिस स्थित भारतीय दूतावास आपकी जांच–पड़ताल करने के बाद आर्थिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। मीन्स टेस्ट (जांच–पड़ताल) में यह निर्धारित किया जाता है कि उस खास व्यक्ति या परिवार को सरकारी सहायता या जन कल्याण की जरूरत है या नहीं। यह भी देखा जाता है कि क्या उस व्यक्ति या परिवार के पास बिना किसी मदद के, पर्याप्त साधन है?

7. शिक्षा, प्रशिक्षण और भाषा संबंधी पाठ्यक्रम

7.1 बच्चों के लिए शिक्षा

7.1.1 फ्रेंच स्कूली शिक्षा प्रणाली

- 6 से 16 वर्ष के सभी बच्चों का स्कूल जाना अनिवार्य है। सितंबर 2019 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों का भी स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया है (कुछ स्कूलों में 2 वर्ष की आयु से पढ़ाई शुरू हो जाती है)। 3 वर्ष से पहले बच्चे नर्सरी (क्रेश) में जा सकते हैं जिसकी लागत आपकी आय पर निर्भर करेगी।

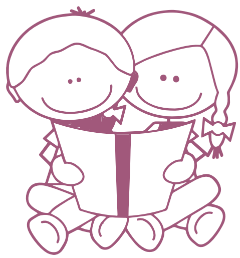

- बच्चे सरकारी स्कूल में निशुल्क (2 या 3 वर्ष की आयु के बाद से) या पंजीकृत निजी स्कूल में जा सकते हैं। दोनों स्कूलों में एक जैसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। सरकारी स्कूलों में पंजीकरण के दो चरण हैं: आपको पहले टाउन हॉल (mairie) में जाना होगा जहां यह बताया जाएगा कि आपका बच्चा किस स्कूल में जाएगा (आम तौर पर आपके निवास स्थान के आधार पर यह तय होता है)। आपको एक पंजीकरण सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें स्कूल का नाम और पता लिखा होगा। फिर आप बच्चे के दाखिले को अंतिम रूप देने के लिए स्कूल के/की हेडमास्टर से मिलेंगे/मिलेंगी। चूंकि स्कूल जाना अनिवार्य है, इसके बावजूद कि आप पूरे साल के बीच में फ्रांस पहुंच/पहुंची हों, तब भी आपके बच्चे को किसी स्थानीय स्कूल में दाखिला मिलेगा ही मिलेगा।

स्कूल	बच्चे की आयु	कक्षा
Ecole maternelle (प्रीस्कूल)	3 से 6 = 3 वर्ष	Petite section, moyenne section, grande section
Ecole primaire (प्राइमरी स्कूल)	6 से 11 = 5 वर्ष	CP, CEI, CE2, CM1, CM2
Collège (लोअर सेकेंडरी स्कूल)	11 से 14 = 4 वर्ष	sixième, cinquième, quatrième, troisième (6°, 5°, 4°, 3°)
Lycée	15 से 18 = 3 वर्ष	Seconde, première, terminale

7.1.2 गैर फ्रेंच भाषी बच्चों के लिए सुविधाएं

फ्रांस पहुंचने पर बच्चों को नियमित कक्षा में दाखिला दिया जाता है और उन्हें गैर फ्रेंच भाषी विद्यार्थियों के लिए नियुक्त विशेष शिक्षण इकाई की मदद मिलती है। इसमें बच्चों को तब तक फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती है जब तक वे मानक पाठ्यक्रम पढ़ने लायक न हो जाएं।

7.1.3 अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है

फ्रेंच और अंतरराष्ट्रीय कानूनों द्वारा प्रत्येक बच्चे को स्कूल और शिक्षा की गारंटी है, भले ही उनके माता–पिता के पास कोई दस्तावेज न हों। हालांकि बिना दस्तावेज के माता–पिता को अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है: टाउन हॉल में माता–पिता के निवास के दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। जो गैर कानूनी है और आप आरईएसफ (Réseau Education sans Frontières, Education without borders network*) जैसे संगठनों की मदद से ऐसे अपमानजनक व्यवहार के लिए प्रशासनिक अदालत में अपील कर सकते/सकती हैं।

7.2 वयस्कों के लिए शिक्षा और दक्षता प्रशिक्षण

7.2.1 फ्रेंच कहां से सीख सकते हैं?

ओएफआईआई में इंटरव्यू के बाद फ्रेंच भाषा के जिन पाठ्यक्रमों में आप दाखिला लेंगे–लेंगी (जिसके बाद आपके रिपब्लिकन कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे) वे पूरी तरह मुफ्त हैं– अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट देखें– http://www.ofii.fr/। ये फ्रेंच सीखने की शुरुआत करने वालों और नियमित प्रवासियों के लिए है (ओएफआईआई अधिकारी आपको ऐसे पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने से संबंधित प्रासंगिक जानकारियां उपलब्ध कराएंगे)।

अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, या अगर आप फ्रेंच भाषा बुनियादी ज्ञान से ज्यादा सीखना चाहते/चाहती हैं तो ऐसे अनेक स्थान हैं जो फ्रेंच भाषा का निशुल्क ज्ञान देते हैं – स्वैच्छिक संगठन, म्यूनिसिपल लाइब्रेरी, सिटी काउंसिल इत्यादि। पेरिस और उसके क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर भाषा संबंधी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। चूंकि इसकी बहुत मांग है, इसलिए कुछ पाठ्यक्रमों में बहुत विद्यार्थी हो सकते हैं। पेरिस सिटी काउंसिल (cours municipaux pour adultes) द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है, लेकिन अधिकतर जगहों पर यह निशुल्क ही है। कुछ स्थानों पर, जैसे म्यूनिसिपल लाइब्रेरीज द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है (संपर्क वाला खंड देखें)।

7.2.2 दक्षता प्रशिक्षण और पेशेवर शिक्षा

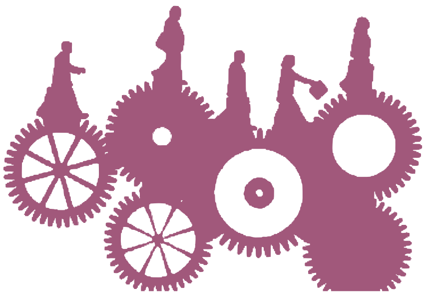

अगर आप बेरोजगार हैं, तो अपनी दक्षता और योग्यता (क्वालिफिकेशन) में सुधार लाने या रोजगार प्राप्त होने की स्थिति में अपनी योग्यता बढ़ाने (अपग्रेडेशन) के लिए आप प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते/सकती हैं। कर्मचारी के रूप में भी आप दक्षता प्रशिक्षण (formation professionnelle) प्राप्त कर सकते हैं, जिसके फीस का एक हिस्सा आपका नियोक्ता चुकाएगा। वैसे यह आपकी कंपनी का कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकता है, या आपकी अपनी पहल भी हो सकती है। सभी कर्मचारियों का अपना व्यक्तिगत प्रशिक्षण एकाउंट होता है जिसमें काम के हर वर्ष में 24 घंटे प्रशिक्षण के लिए निर्धारित रहता है।

इस संबंध में कार्यस्थल की ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि या सरकारी वयस्क शिक्षा केंद्र ग्रेटा* (advisers or Pôle Emploi* advisers) से आपको पूरा मार्गदर्शन मिल सकता है।

8. फ्रांस मे अध्ययन

फ्रांस में अध्ययन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी कैंपस फ्रांस–इंडिया की वेबसाइट पर अंग्रेजी में उपलब्ध है (https://www.inde.campusfrance.org/)

8.1 फ्रेंच विश्वविद्यालय या निजी उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिला

फ्रांस के सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों में आवेदन करने के लिए आपको सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (Etudes en France-'Study in France*) के जरिए दाखिले का अनुरोध करना होगा। यह वीजा के अनुरोध तक पूरी दाखिला प्रक्रिया का दिशा–निर्देशन करेगा (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html)। आपको अपनी निजी इलेक्ट्रॉनिक फाइल बनानी होगी और इसके लिए 15,500 रुपए की फीस भी चुकानी पड़ेगी।

- बीए डिग्री के प्रथम वर्ष (^L1*) के लिए आवेदन करने हेतु आपसे स्टडी इन फ्रांस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले प्रिलिमनरी एडमिशन रिक्वेस्ट (डीएपी) करने को कहा जाएगा और उसके बाद स्टडी इन फ्रांस की पूरी प्रक्रिया का पालन करने को कहा जाएगा। आपको एकेडमिक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फ्रेंच भाषा का टेस्ट स्कोर जमा कराने के लिए कहा जाएगा (अगर वह कोर्स फ्रेंच में पढ़ाया जाता है तो कम से कम DELF B2, अगर वह कोर्स अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है तो इसके लिए फ्रेंच भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं होता है)। जिस विश्वविद्यालय में आपने आवेदन किया है, अगर वह विश्वविद्यालय आपका आवेदन मंजूर कर लेता है, तो आप निकटवर्ती वीएफएस केंद्र में स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं।

- बैचलर्स डिग्री के दूसरे या तीसरे वर्ष या मास्टर्स डिग्री के लिए आवेदन करते समय भी आपको स्टडी इन फ्रांस प्रक्रिया का पालन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें –\ https://www.campusfrance.org/en/procedure-studying-in-France

- कृपया इस बात का ध्यान रखें कि दोनों प्रक्रियाओं की अंतिम तिथि अलग–अलग होती है। बैचलर प्रोग्राम के पहले वर्ष के आवेदन की प्रक्रिया सामान्य तौर पर पिछले वर्ष के नवंबर माह में शुरू होती है और दाखिले वाले वर्ष के फरवरी महीने में समाप्त हो जाती है।मतलब यह कि अगर आपको अगले साल दाखिला लेना है तो इसी साल के नवंबर महीने में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर देनी पड़ेगी. जबकि बैचलर प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे वर्ष और मास्टर प्रोग्राम की आवेदन प्रक्रियाएं

पिछले वर्ष के दिसंबर माह में शुरू होती है और दाखिले वाले वर्ष के मार्च महीने में समाप्त हो जाती है।

- अगर आप डॉक्टोरल प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते/चाहती हैं तो आपको उपर लिखी बातों को पालन करने की जरूरत नहीं है। आपको उस डॉक्टोरल स्कूल से सीधा संपर्क करना होगा, जहां आप दाखिला लेना चाहते/चाहती हैं। अगर आपको सकारात्मक उत्तर मिलता है, तो आपको भारत स्थित फ्रेंच कंसूलेट/दूतावास में 'टैलेंट पासपोर्ट वीजा' के लिए आवेदन करना होगा।

फ्रांस में निजी शिक्षण संस्थान में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार अपने निकटतम कैंपस के फ्रांस ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं जो आपको कुछ संस्थानों के बारे में बताएगा जहां आप दाखिला के लिए सीधे आवेदन कर सकते/सकती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे आवेदन स्टडी इन फ्रांस पोर्टल के जरिए सीधे संबंधित संस्थान तक पहुंचेंगे। आवेदन जमा होने के बाद स्कूल आपसे स्काइप इंटरव्यू कर सकता है या प्रि–रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी कर सकता है। दाखिला होने के बाद कैंपस फ्रांस मैनेजर वीजा आवेदन की प्रक्रिया के बारे में खुद ही आपको बताएगा।

यह भी हो सकता है कि आरएनसीपी (*Répertoire National des Certifications Professionnelles*) सर्टिफिकेशंस के बिना अध्ययन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अध्ययन के बाद एपीएस (*Autorisation Provisoire de Séjour*) न मिले।

भारतीय विद्यार्थियों को जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों को भारत से सत्यापित करवाकर रखना चाहिए ताकि फ्रांस में डॉक्यूमेंटेशन करने में आसानी हो।

8.2 स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन

- अगर आप 90 दिनों से कम समय के लिए फ्रांस में रह रहे/रही हैं (उदाहरण के लिए इंटर्नशिप या ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए) तो आपको स्टडी इन फ्रांस प्रक्रिया की जरूरत नहीं है और आपको सीधे शॉर्ट स्टे वीजा के लिए आवेदन करना चाहिए।

- अगर आप 90 दिनों से अधिक रहने वाले/वाली हैं तो आपको सबसे पहले स्टडी इन फ्रांस प्रक्रिया को (उपरिलिखित) पूरा करना चाहिए। इसके लिए आपका https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas पर ऑनलाइन उपलब्ध वीजा फॉर्म को भरना होगा और फिर वीएफएस वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से निकटवर्ती वीएफएस कार्यालय (https://online.vfsglobal.com/Global Appointment/Account/RegisteredLogin) में वीजा के लिए जरूरी दस्तावेजों को जमा करने के बाद ऑनलाइन समय (अप्वाइंटमेंट) लेना होगा।

फ्रांस का दूतावास या कंसुलेट लॉन्ग टर्म स्टूडेंट वीजा (वीएलएस–टीएस) जारी करेगा, जो आपके वहां रहने तक के लिए रेजिडेंट परमिट का काम करेगा। इसके लिए आपको

यह साबित करना होगा कि फ्रांस में अपने स्टडी प्रोग्राम के दौरान आपकी मासिक आय €615 होगी।

वीएलएस–टीएस (visa long séjour valant titre de séjour) स्टूडेंट वीजा आपको निम्नलिखित की अनुमति देगा:

- शेंगेन क्षेत्र के अन्य देशों में मुक्त रूप से यात्रा करने की आजादी
- फ्रांस में प्रति वर्ष 964 घंटे (हर हफ्ते 20 घंटे) काम करने की अनुमति

  अगर आप कानूनी रूप से मंजूर समय से अधिक काम करते हैं तो यह निम्नलिखित में रुकावट पैदा कर सकता है– आपके स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट का दोबारा जारी होना
- कुछ सामाजिक लाभ हासिल करना (निम्नलिखित देखें)

  किसी भी वीएलएस–टीएस के लिए किसी ओएफआईआई की वैधता अनिवार्य है (देखें वीजा पर खंड 1)

8.3 स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट के लिए आवेदन

अधिकतर फ्रेंच सरकारी विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए एक

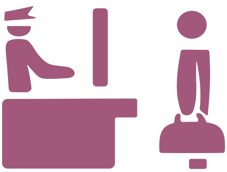

समर्पित सेवा होती है जो उन्हें प्रशासनिक प्रक्रियाओं, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में मदद और मार्गदर्शन करती है। कुछ विश्वविद्यालय तो शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत होते ही एक केंद्रीय सूचना डेस्क भी बनाकर रखता है जिसमें फ्रेंच प्रशासन– जैसे Préfecture और ओएफआईआई के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। पेरिस में आप अगस्त के अंत से लेकर नवंबर महीने तक Cité Universitaire Internationale de Paris संचालित उस डेस्क से संपर्क कर मदद ले सकते/सकती हैं (https://access.ciup.fr/en/welcome-desk-paris/)।

जब आपका लॉन्ग स्टूडेंट वीजा समाप्त हो, तब आप Préfecture से मल्टी ईयर रेजिडेंट परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। यह स्टडी प्रोग्राम के बचे हुए समय के लिए वैध होगा। आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

- आपको फ्रांस के सरकारी या निजी उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिला लेना होगा।
- यह दिखाना पड़ेगा कि आपकी मासिक आय कम से कम €615 है।
- फ्रांस में अपने स्टडी प्रोग्राम के शुरुआत से ही अपने अध्ययन को 'वास्तविक और गंभीर प्रकृति' का प्रदर्शन करना होगा। व्यावहारिक रूप से Préfecture आपसे आपकी कक्षा में उपस्थिति का सर्टिफिकेट, परीक्षा परिणाम, आपकी डिग्री की मांग

कर सकता है। एक ही कोर्स को बार–बार दोहराने को गंभीर अध्ययन नहीं माना जाता जा सकता है।

8.4 विदेशी विद्यार्थियों के लिए फीस और छात्रवृत्ति

8.4.1 ट्यूशन फीस

सितंबर 2019 से गैर यूरोपीय अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए फ्रेंच शिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु सरकारी विश्वविद्यालयों में ट्यूशन फीस निम्नलिखित है। निजी संस्थानों में फीस अधिक होगी:

- बीए स्तर पर €2,770 प्रति वर्ष
- मास्टर स्तर पर €3,770 प्रति वर्ष
- डॉक्टोरल स्तर पर €380 प्रति वर्ष

चूंकि कुछ सरकारी विश्वविद्यालय सितंबर 2019 से फीस वृद्धि लागू नहीं करेंगे इसलिए यह जांचना जरूरी है कि जिस विश्वविद्यालय में आपने आवेदन किया है, वहां की मौजूदा फीस कितनी है।

अगर आपने पहले ही सरकारी विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया है तो फीस वही रहेगी (बीए स्तर पर €2,770 प्रति वर्ष, मास्टर स्तर पर €3,770 प्रति वर्ष, डॉक्टोरल स्तर पर €380 प्रति वर्ष)। अधिक विवरण के लिए कृपया इसे देखें: https://www.study.eu/article/tuition-fees-in-france

8.4.2 छात्रवृत्ति

- भारत में फ्रेंच दूतावास बीए, मास्टर्स और डॉक्टोरल स्तर पर सभी विषयों में तथा विभिन्न अवधियों (2 महीने से लेकर 2 वर्ष) के लिए भारतीय विद्यार्थियों को अनुदान (चार्पाक स्कॉलरशिप प्रोग्राम) देता है (देखें कैंपस फ्रांस भारत वेबसाइट, https://www.inde.campusfrance.org/charpak-scholarships)
- आइफिल स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ एक्सिलेंस (फ्रांस के विदेश मंत्रालय द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त) का लक्ष्य ऐसे विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना है जो निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययन के लिए फ्रांस में मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स में दाखिला लेना चाहते हैं: अर्थशास्त्र और प्रबंधन, इंजीनियरिंग, कानून, राजनीति शास्त्र। फ्रांस के उच्च शिक्षण संस्थान उम्मीदवारों को पहले चुनते हैं और फिर उनकी ओर से कैंपस फ्रांस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भेजते हैं।

- फ्रांस में जिन विद्यार्थियों ने कम से कम दो साल गुजार लिया हो, वे उच्च शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय द्वारा दी जानेवाली छात्रवृत्ति के लिए भी सामाजिक मानदंड के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।
- वैसे विश्वविद्यालय और विभिन्न सरकारी निकाय अनुसंधान के लिए छात्रवृत्ति देता है जिसके लिए विदेशी डॉक्टोरल विद्यार्थी और पोस्ट डॉक्टोरल स्कॉलर्स आवेदन कर सकते हैं।

सर्च इंजन 'कैंपस बोर्सेस' अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए विभिन्न तरह के छात्रवृत्तियों के लिए ढ़ेर सारी सूचनाएं मुहैया कराता है (http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog)

8.5 सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा

फ्रांस के सभी निवासियों के लिए Assurance maladie (सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना) का हिस्सा बनना अनिवार्य है जो पूरी तरह मुफ्त है। आपको इसके लिए अंग्रेजी भाषा की समर्पित वेबसाइट (https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/) पर जाना पड़ेगा और फिर जनरल वेबसाइट पर (https://www.ameli.fr/) पर अपना पर्सनल एकाउंट बनाना होगा। आप बंतजम अपजंसम (मेडिकल कार्ड) के लिए भी आवेदन कर सकते/सकती हैं।

चूंकि Assurance maladie चिकित्सा खर्च का एक छोटा सा हिस्सा ही कवर करता है (औसत 70%), इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अपनी पसंद के अनुपूरक विद्यार्थी स्वास्थ्य बीमा (mutuelle) को सबस्क्राइब करें (जिसकी लागत €8 प्रति माह से शुरू होती है)। विद्यार्थियों के लिए वैसा दो mutuelles हैं– एलएमडीई और एसएमईआरईपी।

8.6 आवास

सबसे पहले तो जिस विश्वविद्यालय में आपने दाखिला लिया है, उससे संपर्क करें, विशेष रूप से उसकी आवास सेवा और अंतरराष्ट्रीय संबंध कार्यालय से। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका यह है कि वे विद्यार्थियों के छात्रावास (cité-U) में किराए पर कमरा ले लें। इसके लिए आपको CROUS (विद्यार्थी सेवाओं) के क्षेत्रीय कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन करना होगा (जनवरी से मई के बीच)। किराए में अन्य सुविधाओं के साथ–साथ वाई–फाई कनेक्शन भी शामिल होता है।

पेरिस में रहने वाले अनेक भारतीय विद्यार्थी Maison de l'Inde (इंडिया हाउस) में रहते हैं जो विश्वविद्यालयी छात्रावासों के एक बड़े समूह Cité Universitaire Internationale de Paris (CUIP) का हिस्सा है। वैसे निजी विद्यार्थी आवास या युवा आवास भी उपलब्ध है लेकिन उसका मासिक किराया बहुत ज्यादा होता है, खासकर बड़े शहरों में।

एक विकल्प यह भी है कि किसी निजी मकान मालिक से एक कमरा/स्टूडियो या साझेदारी में फ्लैट किराए पर ले लिया जाए। वैसे आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि यह बहुत महंगा होता है और पेरिस में इसकी बहुत मांग है (एक कमरे/स्टूडियो के लिए लगभग हर महीन €700)। वैसे आप मेजबान परिवार के साथ रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कई बार कुछ सेवाएं (जैसे बेबी सिटिंग) देनी पड़ती है जिससे किराया कम कराया जा सकता है। यह सस्ता विकल्प है और अपनी फ्रेंच को सुधारने का सर्वोत्तम तरीका भी।

किराए में मदद के लिए आप परिवार भत्ता कोष, सीएएफ (Caisses d'allocations familiales) में आवासीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं।

9. रोजमर्रा का जीवन

9.1 फ्रांस में अपने साथ क्या दस्तावेज लेकर आएं

फ्रांस में अपने साथ कुछ व्यक्तिगत दस्तावेज लाने की सलाह दी जाती है, जैसे:

- आपका जन्म प्रमाणपत्र
- आपके विवाहित या तलाकशुदा या अविवाहित होने का सर्टिफिकेट
- आपकी शैक्षणिक योग्यता और डिग्री
- आपका टीकाकरण और मेडिकल रिकॉर्ड
- आपका ड्राइविंग लाइसेंस और अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस

भारत में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए कृपया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं। यहां एक लिंक है – https://parivahan.gov.in/parivahan/en/content/international-driving-permit-0

जिन दस्तावेजों की मांग फ्रांस प्रशासन करता है, उन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाएगा (lettre recommandée avec accusé de réception)।

9.2. सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद

अगर आपके मूल दस्तावेज फ्रेंच में नहीं हैं तो आपको उन्हें फ्रेंच में अनुवाद कराना होगा, वह भी उन अनुवादकों से जिसे फ्रेंच अदालत से मान्यता प्राप्त हो। अनुवादक अपना स्टैम्प लगाकर और हस्ताक्षर करके सत्यापित करेगा/करेगी कि यह अनुवाद सही है और मूल दस्तावेज के अनुरूप है। अनुवाद का खर्च आपको खुद ही उठाना पड़ेगा।

सर्टिफाइड अनुवादकों की डायरेक्टरी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://www.annuaire-traducteur-assermente.fr/

9.3 बैंक खाता खोलना

- जैसे ही आपको वेतन मिले, आपके लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है।
- फ्रांस में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी वित्तीय सेवाओं की सुविधा पाने का अधिकार है। उसे किसी न किसी वित्तीय सेवा का इस्तेमाल करने का भी अधिकार है।

बैंक खाता खोलने के लिए आपसे निम्नलिखित दस्तावेज मांगा जाएगा: पहचान संबंधी दस्तावेज (आपका पासपोर्ट) और निवास का प्रमाण (कुछ बैंक आपसे आय का प्रमाण भी मांग सकते हैं, लेकिन यह गैर कानूनी है)।

- बैंक खाता खोलना, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं हैं।

अगर आपके पास दस्तावेज नहीं हैं तो आपको बैंक खाता खोलने में समस्या आ सकती है क्योंकि कुछ बैंक रहने का कानूनी दस्तावेज की मांग करेंगे, लेकिन गैर कानूनी है। वहां के कानून के मुताबिक आपसे सिर्फ पहचान पत्र और निवास का प्रमाण मांगा जाना चाहिए। इसलिए अगर कोई बैंक आपका खाता खोलने से इनकार करता है (आपको रिजेक्शन लेटर मांगना चाहिए), तो आप droit au compte (बुनियादी बैंकिंग सेवाओं की सुविधा) का इस्तेमाल कर सकते/सकती हैं। इसमें आप बैंक ऑफ फ्रांस' में अपील दायर कर सकते/सकती हैं। इसके बाद वह 24 घंटे में बैंक को इस बात के लिए बाध्य कर देगा कि वह आपका खाता खोले। इस प्रक्रिया के लिए आप स्थानीय लीगल सेंटर* या सिटी काउंसिल सोशल सर्विस* की मदद ले सकते/सकती हैं जो आपको खाता खोलनेवालों की मदद करने वाले संगठनों से संपर्क करवाएगा।

9.4 धनराशि घर भेजना

धनराशि घर भेजने के अनेक विकल्प मौजूद हैं। जैसे बैंक के जरिए नकद से नकद, खाते से नकद (बैंक द्वारा नकद हस्तांतरण), खाते से दूसरे खाता में डालना। लेकिन फ्रांस में बैंक हस्तांतरण सेवाएं काफी अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन यह सुविधा भारतीयों को महंगी लग सकती है।

अधिकतर भारतीय प्रवासी मित्रों और संबंधियों या निजी मनी ट्रांसफर कंपनियों जैसे वेस्टर्न यूनियन, ट्रांसफरवाइज या मनीग्राम के जरिए धन अपने घर भेजते हैं।

9.5 फ्रांस में भ्रमण

9.5.1 ड्राइविंग

अगर आपके पास भारत का ड्राइविंग लाइसेंस है और वह अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप एक वर्ष तक फ्रांस में ड्राइव कर सकते/सकती हैं, बशर्ते आपके पास रेजिडेंट परमिट है। चूंकि भारतीय लाइसेंस को फ्रेंच लाइसेंस में तब्दील नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको एक वर्ष पूरा होने पर फ्रांस में ड्राइव करने के लिए फ्रेंच ड्राइविंग परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए आपको एक निजी ड्राइविंग स्कूल (auto&école) में दाखिला लेना होगा और सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक, मतलब गाड़ी चलाने की (प्रैक्टिकल) परीक्षा (यह पैकेज काफी महंगा है, औसत €1500 से अधिक) की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम में भाग लेना होगा। क्रियात्मक परीक्षा देने के लिए आपको ड्राइविंग की कम से कम 20 घंटे की शिक्षा लेनी होगी, लेकिन व्यावहारिक रूप से विद्यार्थियों को इस परीक्षा को पास करने के लिए 30 घंटों की शिक्षा की जरूरत पड़ती है।

9.5.2 सार्वजनिक परिवहन (transports en commun)

फ्रांस का सार्वजनिक परिवहन (पब्लिक ट्रांसपोर्ट) बहुत बढ़िया है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने–आने के लिए बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, खासकर बड़े शहरों में। लंबी दूरी की ट्रेन से यात्रा करने के लिए नेशनल रेलवे कंपनी की वेबसाइट (https://www.oui.sncf/) से ट्रेन का समय, किराए की जानकारी आसानी से मिल सकती है और वहीं से ऑनलाइन टिकट भी बुक कराया जा सकता है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए बसों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है (बसें ट्रेन से सस्ती हैं) और इसके लिए आप यूरोलाइंस (https:// www.eurolines.fr/), ओयूबस (https://www.oui.sncf/bus) या फिलक्सबस (https://www.flixbus.fr/) में से किसी एक को चुन सकते/सकती हैं। इसके अलावा लंबी या कम दूरी की यात्रा के लिए एक सस्ता विकल्प ऑनलाइन कारपूलिंग भी है। कारपूलिंग के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मूबीकूप (https://www.mobicoop.fr/) या ब्लाब्लाकार (https://www.blablacar.fr/)।

स्थानीय भ्रमण के लिए मेट्रो, ट्रामवेज, स्थानीय बस और ट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको नियमित रूप से यात्रा करनी है, तो आप रोजाना टिकट खरीदने के बजाय साप्ताहिक या मासिक पास खरीदें। यह आम तौर पर सस्ता पड़ता है। पेरिस और उसके क्षेत्र के लिए निम्नलिखित वेबसाइट देखें: https://www.ratp.fr/

आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जहां आप नौकरी करते हैं उसे आपको मासिक पास की आधी राशि लौटानी पड़ेगी।

टैक्सियां बहुत महंगी होती हैं और जरूरत पड़ने पर वे ऑनलाइन ऐप्स का इस्तेमाल करके टैक्सी मंगाई जाती हैं।

पेरिस जैसे बड़े शहरों में सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम उपलब्ध है जो यातायात का बहुत ही सस्ता विकल्प है।

10. उपयोगी संपर्क

प्रशासनिक प्रक्रियाओं के संबंध में दिशा निर्देश देने के लिए अनेक संगठन, लीगल ओरिएंटेशन और सामाजिक सेवाएं उपलब्ध हैं। अपने स्थानीय क्षेत्र में उनकी तलाश करें, अपने मित्रों से पूछें या लोकल काउंसिल सोशल सर्विसेज (सीसीएएस) से पूछें– उनसे स्थानीय उपयोगी संपर्क सूत्रों की सूची मांगें। चूंकि अधिकतर दक्षिण एशियाई भाषाओं में अनुवाद/दुभाषिया सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए फ्रेंच या अंग्रेजी भाषी मित्रों के साथ जाएं।

फॉर्म को फ्रेंच भाषा में भरने के लिए निशुल्क लेटर राइटिंग सेवाओं (écrivain public) की मदद लें जो अधिकतर स्थानीय सिटी काउंसिल्स में उपलब्ध होती हैं।

अगर आपको सामाजिक या आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोकल काउंसिल सोशल सर्विसेज (सीसीएएस) के सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलने का प्रयास कर सकते/सकती हैं। रेजिडेंट परमिट (आवेदन, रीन्यूअल या नियमितीकरण) हेतु मदद के लिए कई स्वयंसेवी संगठन, जैसे La Cimade मौजूद हैं।

निशुल्क लीगल सेंटर्स (Maison de la Justice et du Droit) अधिकतर शहरों में उपलब्ध हैं जो निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं और स्थानीय मध्यस्थता और ओरिएंटेशन डेस्क (पीआईएमएमएस) आपको फ्रेंच प्रशासन के साथ संपर्क करने और बातचीत करने में मदद करेंगे।

पेरिस क्षेत्र में स्थिति 5 गुरुद्वारों में भी यह सहायता उपलब्ध है।

संगठन का नाम	उपलब्ध सेवाएं	संपर्क
ओएफआईआई (Office d'immigration et d'intégration	नए आने वाले प्रवासियों की आवभगत और रजिस्ट्रेशन, वापसी में भी सहायता	http://www.ofii.fr/ ओएफआईआई कार्यालयों की सूची: http://www.ofii.fr/ofii-en-france
Préfecture	विदेशियों को रेजिडेंसी और वर्क परमिट देने/रीन्यू करने वाला मुख्य प्रशासन	préfectures की सूची: https://lannuaire.service-public.fr/navigation/prefecture
- Mairie (सिटी काउंसिल) - CCAS (सिटी काउंसिल सोशल सर्विसेज)	स्कूल में रजिस्ट्रेशन, सामाजिक सेवाएं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में मदद देना	mairies की सूची: https://lannuaire.service-public.fr/navigation/mairie
- Ecrivain public (निशुल्क लेटर राइटिंग सेवाएं)		आपके स्थानीय सिटी काउंसिल के पास संपर्क विवरण उपलब्ध
- पीआईएमएमएस (प्वाइंट इनफॉरमेशन मीडिएशन मल्टीसर्विसेज)	स्थानीय सूचना डेस्क	http://www.pimms.org/

संगठन का नाम	उपलब्ध सेवाएं	संपर्क
- Maison de la Justice et du droit - Points d'accès au droit	स्थानीय कानूनी केंद्र निशुल्क कानूनी एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं	http://www.annuaires. justice. gouv.fr/annuaires- 12162/ annuaire-des- maisons-de- justice-et-du- droit-21773.html
रोजगार: - Pôle emploi - CFDT (Confédération française démocratique du travail) - CGT (Confédération générale du travail)	सरकारी एजेंसी बेरोजगार लोगों को पंजीकृत करती है, उन्हें नई नौकरियां ढूंढने में मदद करती है और उन्हें बेरोजगारी भत्ता देती है ट्रेड यूनियन्स श्रम विवादों से निपटती है, प्रवासी श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को सहायता और कानूनी सलाह देती है	Pôle emploi के स्थानीय कार्यालयों की सूची: https://lannuaire. service-public.fr/navigation/ mission_locale missions locales (स्थानीय युवा रोजगार कार्यालयों) की सूची: https://lannuaire. service-public. fr/navigation/ mission_locale www.cfdt.fr www.cgt.fr
- Caisse Primaire d'Assurance Maladie - PASS (permanences d'accès aux soins de santé) - CASO (Centre d'accueil, de soins et d'orientation) de Médecins du Monde - Centre Minkowska (पेरिस)	पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस फंड में बीमारी, मातृत्व, विकलांगता शामिल हैं अधिकतर अस्पतालों में निशुल्क हेल्थ सर्विसेज एक्सेस प्वाइंट्स स्थित हैं हेल्थ क्लिनिक (मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ), ओरिएंटेशन सर्विसेज निशुल्क मेंटल हेल्थ क्लिनिक जिसमें अनुवाद की सेवा भी उपलब्ध है	https://www.ameli.fr/ कार्यालयों की सूची: https:// lannuaire.service-public.fr/ navigation/cpam पेरिसीयन अस्पतालों में स्थित पास की सूची: https:// www.aphp.fr/ permanences- dacces-aux-soins- de-sante- lap-hp Médecins du Monde Parisian CASO: https://www. medecinsdumonde.org/fr/ contact/ile-de-france http://www.minkowska.com/
Caisses d'allocations familiales (सीएएफ)	बच्चों से संबंधित लाभ, बाल देखभाल भत्ता, आवासीय लाभ	https://www.caf.fr/ बच्चों की देखभाल के संबंध में सूचनाएं: https://www.mon- enfant.fr/
- Association nationale pour la formation professionelle des adultes (AFPA) - GRETA (groupements d'établissements publics d'enseignement) - Cours municipaux pour adultes - BAAM	वयस्कों को दक्षता कार्यक्रम और पाठ्यक्रम प्रदान करता है पेरिस सिटी काउंसिल वयस्कों के लिए पाठ्यक्रम पेश करता है फ्रेंच भाषा के निशुल्क पाठ्यक्रम और पेरिसीयन लाइब्रेरियों में पूर्व पंजीकरण की जरूरत नहीं	www.afpa.fr Greta की सूची: https://lannuaire.service- public. fr/navigation/greta https://www.paris.fr/cma https://baamasso.org/fr/ ateliers-francais/#Les%20 cours%20de%20 fran%C3%A7ais पेरिस क्षेत्र में फ्रेंच भाषा के पाठ्यक्रमों की सूची: / https://www. reseau-alpha.org/
पेरिस में भारतीय दूतावास	दूतावास संबंधी मदद, फ्रांस में भारतीयों का रजिस्ट्रेशन, फ्रांस में भारतीय संगठनों से संपर्क	https://www.eoiparis.gov.in/ इमरजेंसी नंबर: 0648340063

संगठन का नाम	उपलब्ध सेवाएं	संपर्क
गुरुद्वारा सिंह सभा	स्थानीय सहायता, मुफ्त भोजन (हफ्ते के 7 दिन लंगर)	http://gssfcs.com/
भारतीय प्रोफेशनल एसोसिएशन	भारतीय प्रोफेशनल्स और फ्रेंच समाज के बीच सामाजिक–सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ाना	https://ipafrance.com/
प्रवासियों की मदद करने वाला एनजीओ: - CIMADE - GISTI - CSP 75 (Coordination des Sans Papiers) - RESF (Réseau éducation sans frontière) - RUSF (Réseau universities sans frontières) - Résome	प्रवासियों को कानूनी सहायता और सलाह पेरिस में बिना दस्तावेज के प्रवासियों का समूह बिना दस्तावेज के बच्चों और उनके परिवारों की मदद करना, उनके देश निकाला को रोकना विदेशी विद्यार्थियों को सलाह और ओरिएंटेशन सेवाएं देना	https://www.lacimade.org/ www.gisti.org कानूनी मदद के लिए हेल्पलाइन: 01 43 14 60 66 https://csp75.wordpress. com/ http://www. educationsansfrontieres. org/ http://www.rusf.org/- Materiel-.html http://test.resome.org/
- MFPF (Mouvement français pour le planning familial) - RAJFIRE (Réseau pour l'autonomie des femmes immigrées et réfugiées)	महिला अधिकारों, सेक्सुएलिटी, गर्भनिरोध और गर्भपात के संबंध में सलाह देना प्रवासी महिलाओं की मदद करने वाला एनजीओ	https://www.planning- familial. org/ http://rajfire.free.fr/
Indians in France	स्थानीय अभिविन्यास और सहायता	https:/www.indiansinfrance. com/
GOPIO France Paris (Global Organization of People of Indian Origin)	Help for Studies, Internships, Employment; hold several cultural events, send Youth of Indian origin to India for the know India Program (KIP)	Website : www.gopiofrance.com Organization email : gopioparisfr@gmail.com Founder.Gopioparisfr@gmail. com

उपयोगी नंबर

SAMU	एंबुलेंस, प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड)	15
Police, gendarmerie		17
Pompiers	अग्नि शमन	18
Enfance maltraitée	बच्चों के उत्पीड़न के लिए हॉटलाइन	119
SAMU social	बेघर लोगों की मदद के लिए हॉटलाइन	115
Violences femmes info	हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए हॉटलाइन	3919
Ac.Sé	मानव तस्करी के शिकार लोगों के लिए हॉटलाइन	0825 009 907

फ्रांस में भारतीयों के एकीकरण पर हैंडबुक भारतीय प्रवासियों के लिए एक मार्गदर्शिका के तौर पर काम करती है। यह प्रवासियों को स्थानीय प्रणालियों के विषय में अवगत कराती है और यह बताती है कि फ्रांस में स्थानीय संस्थाओं, संगठनों और सेवा मुहैया करानेवालों से कैसे सेवा ली जा सकती है। इस हैंडबुक को प्रवासियों के अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य उन प्रक्रियाओं को आसान बनाना है, जिसका उपयोग प्रवासी भारतीय अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। इस प्रकार उन्हें मेजबान देश के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने और उस देश को अपनाने का मौका मिलेगा, और वे अपनी क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग कर पाएंगे।

ILO Decent Work Team for South
Asia and Country Office for India

Core 4B, 3rd Floor, Lodhi Road
New Delhi 110003
India
Tel: +91 11 47509200
Fax: +91 11 24602111
Email: delhi@ilo.org
www.ilo.org/india

आईएसबीएन: 978-92-2-032387-8 (प्रिंट)
978-92-2-032388-5 (वेब पीडीएफ)